हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/07/25 - आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज कर तहसीलदार मुण्डावर से तथ्यात्मक मय दस्तावेज रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट शामिल है। पत्रावली को उक्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किया गया निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम हो। बाद तकमील जिला लेख अगार हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

Scanned with OKEN Scanner

2024/574

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र प्रसाद (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
58/24	09/07/2024	09/07/2024

// उनवान //

1. रूपराम पुत्र मंगलिया जाति जाट निवासी बुरासवारा तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

:– प्रार्थीयान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – रूपराम – प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक :– 09/07/2024**

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा न0 2, 3, 43, 44, 45, 46, 48, 49 वाके ग्राम नांगलरानिया जमाबंदी में मेरा नाम रूपराम के स्थान पर रूपचन्द अंकित कर दिया गया है। परन्तु उक्त खसरा नंबरो के साबिक खसरा नम्बरो की जमाबंदीयों में मेरा नाम रूपराम दर्ज है। रिकोर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत का निवेदन रहा।

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर की मय दस्तावेज रिपोर्ट प्राप्त है। प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी संवत 2065–68 में आराजी खसरा नम्बर 2, 31, 32 एवं 34 वाके ग्राम नांगलरानिया में प्रार्थी का नाम रूपराम पुत्र मंगलिया दर्ज है। एवं जमाबंदी 2069–72 में भी रूपराम पुत्र मंगलिया दर्ज है। तथा मिसल बन्दोबस्त संवत 2071 में भी रूपराम पुत्र मंगलिया दर्ज है। परन्तु आधार वर्ष की जमाबंदी संवत 2071 एवं हाल जमाबंदी 2072–2075 में रूपचन्द पुत्र मंगलिया दर्ज है। उपरोक्त तुलनात्मक रिपोर्ट के अनुसार साबिक खसरा नम्बर में प्रार्थी का नाम रूपराम किया था एवं नये खसरा नंबरान में बन्दोबस्त की मिसल में उक्त इन्द्राज बदस्तूर अंकित किया गया। जरिये नामान्तकरण संख्या 557 रिलीजडीड के अनुसार आधार वर्ष की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रूपचन्द उर्फ रूपराम अंकित किया था एवं जमाबंदी ऑनलाईन तैयार करते समय प्रार्थी का नाम रूपचन्द अंकित किया गया। अतः समस्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का नाम मुताबिक साबिक जमाबंदी संवत 2065–68 एवं 2069–72 रूपचन्द के स्थान पर रूपराम दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

9/7/24

उपखण्ड अधिकारी,
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 2, 3, 43, 44, 45, 46, 48, 49 वाके ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर में प्रार्थी का नाम **रूपचन्द पुत्र मंगलिया के स्थान पर रूपराम पुत्र मंगलिया** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **09.07.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/7/24

(सुरेन्द्र प्रसाद)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल–तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner